



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2004/पौष 18, 1925

No. 23]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2004/PAUSA 18, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 25(अ).— आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 733(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में, क्रम संख्या 20 और 89 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः :—

“अनुसूची-I

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
20	मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई-IX	मुम्बई	(i) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XIV (ii) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XV (iii) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XVI (iv) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXVI (v) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXVII (vi) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXVIII (vii) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXIX
89	मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई-XIII	मुम्बई	(i) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXIV (ii) आयकर आयुक्त, मुम्बई-XXV”

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 3/2004/फा.सं.187/21/2003-आयकर नि. I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव